[2011] 3 उम. नि. प. 44

कुलदीप यादव और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

11 अप्रैल, 2011

न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम् और न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 223 – विरोधी मामले – दोनों मामलों का एक ही घटना से संबंधित होना – दोनों मामलों में प्रथम इत्तिला सूचना का एक ही अन्वेषक अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया जाना – अन्वेषक अधिकारी को न्यायालय के संज्ञान में यह लाना चाहिए था कि एक ही घटना से दोनों प्रथम इत्तिला सूचना उद्‌भूत हुई हैं जिससे कि संबंधित पक्षकारों के प्रति घोर अन्याय से बचा जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 और 149 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3] – अभियोजन साक्षियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथनों में पश्चात्‌वर्ती सुधार किया जाना तथा अभियोजन का भी वास्तविक घटनास्थल के संबंध में निश्चित न होना – अभियोजन साक्षियों और चिकित्सा साक्ष्य के बीच अभिकथित क्षतियों के संबंध में एकरूपता न होना – घटना में प्रयुक्त हथियारों को अभिगृहीत न किया जाना और न ही उन्हें बरामद करने के प्रयास करना – रक्त से सने वस्त्रों, घटनास्थल की रक्तरंजित भूमि को रसायन परीक्षा के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला न भेजा जाना – दोषसिद्धि अपास्त की गई ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य – विश्वसनीयता – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का हितबद्ध साक्षी होना तथा अभियुक्तों से वैर-भाव रखना – अभियुक्तों के विरुद्ध उनके कथनों में बढ़ा-चढ़ाकर कथन किया जाना तथा कथन एक-दूसरे के प्रतिकूल होना – अभियुक्तों, हथियारों और उनके कब्जे के बारूद आदि के संबंध में वर्णन, उनके अभिसाक्ष्य के अनुरूप न होना – अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अविश्वसनीय अभिनिर्धारित किया गया ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 149 और 307 –

जानलेवा हमला – धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि एक अभियुक्त के सिवाय अन्य अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य साबित न होना तथा उनके द्वारा जानलेवा हमले में भाग न लिया जाना – अन्य अभियुक्तों का ऐसा करने का सामान्य उद्देश्य न होना – अन्य अभियुक्तों की दोषसिद्धि अपास्त की गई ।

प्रस्तुत मामले में, ये अपीलें 2000 की दांडिक अपील सं. 293, 307, 311 और 371 में पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए तारीख 26 सितंबर, 2003 के उस एक ही निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सेशन विचारण सं. 333/97/40/97 में प्रथम अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, नवादा द्वारा पारित किए गए तारीख 26/27 जून, 2000 के उस निर्णय और आदेश को मान्य ठहराया था जिसके द्वारा इस मामले के अपीलार्थियों को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302, दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 और दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन पर अधिरोपित दडादेशों को कायम रखा । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया एक साक्षी मुंशी यादव (अभि. सा. 7) है । इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति हथियारों से लैस थे और ब्रह्मदेव यादव (अभियुक्त सं. 1) ने बंदूक से गोली चलाई जो सुरेश यादव के उदर में लगी और वह जमीन पर गिर गया और जब गनौरी यादव (अभि. सा. 3) उसे बचाने के लिए गया, तब पांच अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् बाले यादव (अभियुक्त सं. 8), कुलदीप यादव (अभियुक्त सं. 6), सुनील यादव (अभियुक्त सं. 4), सूरज यादव (अभियुक्त सं. 11) और शिव नंदन यादव (अभियुक्त सं. 10) ने, जो सभी घातक हथियारों से लैस थे, उसे पीटने लगे । सुरेश यादव की मृत्यु अस्पताल के रास्ते में ही हो गई । उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने घटनास्थल पर मैकेनिक मोहन की मौजूदगी से इनकार नहीं किया है । उसके अनुसार, घटना तब घटित हुई जब डीजल इंजन चालू होने वाला था । इस साक्षी के समक्ष एक विशिष्ट सुझाव यह रखा गया कि सुरेश यादव की मृत्यु उपेन्द्र यादव द्वारा चलाई गई गोली से हुई है । अभि. सा. 7 के आचरण पर ध्यान देना सुसंगत होगा । उसने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि घटना के पश्चात् वह चराने के लिए गाय लेने चला गया था ।

यह अप्राकृतिक है कि घटना देखने के पश्चात् अपराध के संबंध में अपने साथी ग्रामवासियों से मिले बिना वह बिना किसी घबराहट के अपनी गाय चराने के लिए चला गया जो कि अविश्वसनीय है । एक अन्य साक्षी बिंदेश्वर प्रसाद **उर्फ** मैनेजर यादव (अभि. सा. 4) है जिसके साक्ष्य का अवलंब अभियोजन पक्ष ने लिया है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त के रूप में 17 व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो घटनास्थल पर मौजूद थे और उसके अनुसार उन्हें देखकर उसे अपनी जान का खतरा हुआ किंतु वह भागा नहीं और वहीं खड़ा रहा । उसने कहा, जब सुरेश को गोली लगी, वे भागने लगे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि सुरेश यादव के सिवाय, पिटाई किए जाने से कोई भी अन्य व्यक्ति नीचे नहीं गिरा, सभी भागते रहे और उनमें से कुछ व्यक्ति अपने घर पहुंच गए और कुछ व्यक्ति वहीं रहे इस साक्षी ने अभियुक्त व्यक्ति के रूप में अधिक नाम ही नहीं जोड़े हैं अपितु यह भी प्रकथन किया है कि गोलियां चलने के पश्चात् बम विस्फोट भी हुआ था । उसने यह भी उल्लेख किया है कि सुरेश यादव की मृत्यु अस्पताल के रास्ते में हुई थी । इस साक्षी को विशेष सुझाव यह भी दिया गया है कि सुरेश यादव की मृत्यु उपेन्द्र यादव द्वारा चलाई गई गोली से हुई है । यहां भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन की ओर हमारा ध्यान दिलाकर यह इंगित किया गया है कि महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में बहुत से विरोधाभास और असंगतताएं हैं । डा. आर. के. बिभूति के साक्ष्य के विश्लेषण और क्षति की प्रकृति के बारे में आहत व्यक्तियों का साक्ष्य एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा किए गए साक्षियों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि वे घटना घटित होने के सही स्थान की पहचान नहीं कर सके हैं अर्थात् घटना डीजल इंजन के निकट घटित हुई थी या अजीज मियां के खेत में । उन सभी ने क्षतियों की प्रकृति के बारे में भिन्न वृत्तांत दिया है और उनके साक्ष्य इस संबंध में संगत नहीं हैं कि क्या मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर हुई या अस्पताल जाते समय रास्ते में या अस्पताल में । इन सभी विरोधाभासों, अनिश्चितताओं को आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता है जबकि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को भी इसी घटना में गोलियों से क्षति कारित हुई हैं, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 के रूप में प्रतिमामला दर्ज किया गया है । (पैरा 18, 19 और 24)

दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के अतिरिक्त, सभी

अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 149 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि सबसे पहले तो यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तों का कोई भी सामान्य उद्देश्य नहीं था, यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाए कि सामान्य उद्देश्य था, फिर भी वह किसी भी अभियुक्त की जानकारी में नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंड वांछनीय नहीं है । इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जब दंड संहिता की धारा 149 के अधीन आरोप लगाया जाता है, विधिविरुद्ध जमाव के भाग के रूप में अभियुक्त की मौजूदगी दोषसिद्धि किए जाने के लिए पर्याप्त है, यदि उसके द्वारा कोई भी स्पष्ट कृत्य है, नहीं भी किया गया हो । काउंसेल के अनुसार अन्य शब्दों में यह भी कहा गया है कि विधिविरुद्ध जमाव दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है । (पैरा 25)

उपरोक्त उपबंध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषसिद्ध करने के पूर्व, न्यायालय को सामान्य उद्देश्य की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकालना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उद्देश्य विधिविरुद्ध था । ऐसे निष्कर्ष के अभाव में तथा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई भी स्पष्ट कार्य न किए जाने पर मात्र यह तथ्य कि वे हथियारों से लैस थे, सामान्य उद्देश्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । धारा 149 के अंतर्गत विशिष्ट अपराध का उल्लेख किया गया है और यह धारा उस अपराध के दंड के बारे में है । जब कभी न्यायालय अपराध से संबंधित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को धारा 149 के अधीन दोषिसिद्ध करता है, तब विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और जिस साक्ष्य पर विचार किया गया है उससे केवल सामान्य उद्देश्य की प्रकृति ही दर्शित नहीं होनी चाहिए अपितु यह भी दर्शित होनी चाहिए कि उद्देश्य विधिविरुद्ध था । (पैरा 26)

न्यायालय के मत में, सुरेश यादव की हत्या के संबंध में ब्रह्मदेव यादव (अभियुक्त सं. 1) के सिवाय किसी भी अभियुक्त द्वारा कोई भी प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य कारित नहीं किया गया है । यदि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने सुरेश यादव की हत्या करने का आशय किया होता या हत्या के सामान्य उद्देश्य में भाग लिया होता तब उन्होंने हत्या कारित किए जाने के अभिकथित सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन हथियारों का प्रयोग अवश्य किया

होगा जिन्हें वे अभिकथित रूप से साथ लेकर आए थे । सेशन न्यायाधीश ने विश्लेषण किए जाने पर, यह अभिनिर्धारित किया है कि सभी ग्यारह अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307/149 के अधीन जानलेवा हमला करने और नरेश यादव, मुंशी यादव, बिन्देश्वर यादव और गनौरी यादव को क्षति पहुंचाने का कोई भी अपराध नहीं बनता है । विद्वान् न्यायाधीश ने यह भी मत व्यक्त किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम अभियुक्तों में से चार अभियुक्त बंदूकों से लैश थे किंतु उपर्युक्त क्षतिग्रस्त अभियोजन साक्षियों में किसी भी साक्षी को बंदूक की गोली से क्षति कारित नहीं हुई है । यदि अभियुक्तों ने साक्षियों की हत्या करने का आशय किया होता, तब उन्होंने ऐसे आयुध जैसे कि बंदूक, का प्रयोग अवश्य किया होता जिससे अवश्य ही हत्या कारित की जा सके । इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि सामान्य उद्देश्य की जानकारी किसी भी अभियुक्त को नहीं थी और दंड संहिता की धारा 149 के लागू किए जाने से संबंधित परिकल्पित सिद्धांतों और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि दंड संहिता की धारा 149 के अधीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित नहीं है । (पैरा 31)

सभी मुद्दों का संक्षेपण : (क) यद्यपि दोनों प्रथम इत्तिला रिपोर्टों (11/97 और 12/97) के मामलों में एक ही अन्वेषक अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया गया है, इस साक्षी ने अनुशासन के साथ कार्य नहीं किया है और न ही उसने विचारण न्यायाधीश का ध्यान इसी घटना से उद्भूत प्रति मामले की ओर दिलाया है । (ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभियोजन साक्षियों के कथनों और न्यायालय में दिए गए उनके साक्ष्य का परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि जानबूझकर और विचार-विमर्श करके कथनों में संशोधन किए गए हैं और विश्वसनीय स्पष्टीकरण के अभाव में उनके परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । (ग) अभियोजन पक्ष का पक्षकथन स्पष्ट नहीं है विशेषकर वास्तविक घटनास्थल के संबंध में, चूंकि कुछ साक्षियों ने यह साक्ष्य दिया है कि घटनास्थल डीजल इंजन के निकट है और कुछ ने यह साक्ष्य दिया है कि घटना अजीज मियां के खेत में घटित हुई है । हमने पहले ही महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों में आए विरोधाभासों का उल्लेख किया है और सभी अभियुक्तों को उन साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध करना उचित नहीं है । (घ) यहां तक कि साक्षियों को पहुंची अभिकथित क्षतियों के वर्णन, अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए ब्यौरों और चिकित्सीय साक्ष्य में महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर विभिन्नताएं

हैं । (ङ) डीजल मैकेनिक अर्थात् मोहन यादव की परीक्षा न किया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है । यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोजन साक्षियों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने उसकी परीक्षा क्यों नहीं की है । (च) इसी प्रकार, अन्वेषण अधिकारी ने रक्तरंजित कपड़े और घटनास्थल से मिट्टी सहित अन्य वस्तुएं प्राप्त तो की हैं परंतु इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा इन वस्तुओं की परीक्षा कराई गई है या नहीं और उसका क्या परिणाम हुआ । (छ) यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सभी अभियुक्तों ने सामान्य उद्देश्य में भाग लिया था, उद्देश्य भी साबित नहीं किया गया है और अभियुक्तों का अपराध में भाग लेना विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है । सामान्य उद्देश्य और उसमें प्रत्येक अभियुक्त सदस्य द्वारा भाग लिए जाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष न निकाले जाने पर दंड संहिता की धारा 149 के अधीन कोई भी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । (ज) इत्तिलाकर्ता ने घटनास्थल को स्पष्ट नहीं बताया है और अन्वेषण अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का स्थलनक्शा नहीं बनाया है और उसने वास्तविक घटनास्थल को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से कोई भी अन्वेषण किए बिना इत्तिलाकर्ता के कथन के आधार पर अनौपचारिक रूप से कार्य किया है । (झ) चूंकि घटना प्रातःकाल में घटित हुई है, कम से कम कुछ ग्रामवासी अपने दैनिक कार्यों के लिए पड़ोस वाले खेत में अवश्य ही मौजूद होंगे जो घटना और उसके घटित होने की रीति के संबंध में अवश्य ही अभिसाक्ष्य दे सकते थे, यदि उनकी परीक्षा की जाती । (ञ) अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्तों को कारित की गई क्षतियों, विशेषकर अभियुक्त ब्रह्मदेव यादव को अग्न्यायुध से कारित की गई क्षति का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है बावजूद इसके कि इत्तिलाकर्ता पक्ष को भी ब्रह्मदेव यादव, दरोगी महतो, मुसाफिर यादव और सुनील यादव को क्षति पहुंचाने के लिए आरोपित किया गया है । (ट) अपराध में अभिकथित रूप से प्रयोग किए गए आयुधों को अभिगृहीत नहीं किया गया है और उन्हें बरामद करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है । इसलिए, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्तों को अपराध से संबद्ध किया जा सके । (ठ) रक्तरंजित कपड़े, घटनास्थल से प्राप्त की गई रक्तरंजित मिट्टी को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है । (ड) मृतक के शवपरीक्षण के दौरान डाक्टर द्वारा प्राप्त की गई बंदूक की

गोली को अभिगृहीत नहीं किया गया है और न ही उसे न्यायालय के संप्रेक्षण के लिए परीक्षित किया गया है । (ढ) ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का वृत्तांत अत्यंत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है जो मृतक के नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं और जिन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध शत्रुता के आधार पर साक्ष्य दिया है, ऐसे साक्षियों का साक्ष्य एक दूसरे के प्रतिकूल है और चिकित्सीय साक्ष्य से उसकी पूर्ण रूप से संपुष्टि नहीं होती है और अभियुक्तों की संख्या, आयुधों और उनके द्वारा लाए गए गोला-बारूद के संबंध में विरोधाभास हैं और इन साक्षियों का साक्ष्य इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 9) के उस कथन से मेल नहीं खाता है जो उसने अपने अभिसाक्ष्य में दिया है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर सत्य वृत्तांत प्रस्तुत नहीं किया है और इसीलिए साक्षी और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और इसे प्रथमदृष्ट्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है । (ण) अपील खारिज किए जाने का उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया अंतिम निष्कर्ष अनुचित है और इससे अन्याय होता है । इन परिस्थितियों में 2000 की दांडिक अपील सं. 293, 307, 311 और 371 में तारीख 26 सितंबर, 2003 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और सेशन विचारण सं. 333/97/40/97 में किए गए प्रथम अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के तारीख 26/27 जून, 2000 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । (पैरा 32 और 33)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 123 : **पाल** उर्फ **पल्ला** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	13
[2007]	(2007) 9 एस. सी. सी. 791 : **पंजाब राज्य** बनाम **संजीव कुमार** उर्फ **संजू और अन्य** ;	30
[2003]	(2003) 11 एस. सी. सी. 786. : **लालू प्रसाद** बनाम **राज्य द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	12
[2003]	(2003) 2 एस. सी. सी. 257 = (2003) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 506 : **राजेन्द्र शांताराम टोडंकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ;	30

[2001]	(2000) 1 एस. सी. सी. 285 : **बलवीर** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य ;**	11
[1995]	(1995) 4 एस. सी. सी. 392 : **रणवीर यादव** बनाम **बिहार राज्य ;**	27
[1989]	(1989) 3 एस. सी. सी. 5 : **अलाउद्दीन मियां और शरीफ मियां और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य ;**	28
[1985]	(1985) 1 एस. सी. सी. 422 : **हरिन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य ;**	10,13
[1981]	(1981) 2 एस. सी. सी. 755 : **भूदेव मंडल और अन्य** बनाम **बिहार राज्य ।**	26

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 531. (इसके साथ 2005 की दांडिक अपील सं. 532 और 534 की भी सुनवाई की गई)

2003 की दांडिक अपील सं. 311 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 26 सितंबर, 2003 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री राजन के. चौरसिया, राकेश कुमार, सी. बालकृष्ण, जे. पी. एन. गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, मनीष कुमार, गोपाल सिंह और चंदन कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम् ने दिया ।

न्या. सदाशिवम् – ये अपीलें 2000 की दांडिक अपील सं. 293, 307, 311 और 371 में पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए तारीख 26 सितंबर, 2003 के उस एक ही निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सेशन विचारण सं. 333/97/40/97 में प्रथम अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, नवादा द्वारा पारित किए गए तारीख 26/27 जून, 2000 के उस निर्णय और आदेश को मान्य ठहराया था जिसके द्वारा इस मामले के अपीलार्थियों को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है)

की धारा 302, दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 और दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन पर अधिरोपित दडादेशों को कायम रखा ।

2. **संक्षिप्त तथ्य :**

(क) वर्तमान अपीलें पुलिस थाना गोविंदपुर में रजिस्ट्रीकृत 1997 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11 से उद्भूत हैं जो नरेश यादव (अभि. सा. 9) नाम के व्यक्ति के कहने पर दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर प्रथम अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, नवादा के न्यायालय में सेशन विचारण मामला सं. 333/97/40/97 चलाया गया ।

(ख) सुनील यादव (1997 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11 में अभियुक्त सं. 9) नाम के व्यक्ति के कहने पर उसी पुलिस थाने में 1997 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12 प्रति मामले के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराई गई जो 1997 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11 में के अभियुक्त की ओर से दर्ज कराई गई थी ।

(ग) 1997 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11 में के इत्तिलाकर्ता नरेश यादव (अभि. सा. 9) के अनुसार तारीख 28 अप्रैल, 1997 को 9 बजे पूर्वाह्न में, अचानक ब्रह्मदेव यादव, दरोगी महतो, माहो यादव, पारो महतो, कुलदीप यादव, सुधीर यादव, सुनील यादव पुत्र बाले यादव, बाले यादव, शिव नंदन यादव, सुनील यादव पुत्र मुसाफिर यादव और सूरज यादव सैफ, भाला, लाठी और बंदूकों से लैस होकर एक साथ आए जहां पर इत्तिलाकर्ता का बड़ा भाई सुरेश यादव जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अपनी डीजल की मशीन की मरम्मत मोहन यादव मैकेनिक से करा रहा था । यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त ब्रह्मदेव यादव **उर्फ** भोंनू यादव ने सुरेश यादव के उदर पर गोली चलाई और जब वह उसकी सहायता करने गया, सुनील यादव ने उस पर सैफ से वार किया जिससे उसके होठों पर क्षति कारित हुई । यह भी अभिकथन किया गया है कि शोर सुनकर मुंशी यादव, गनौरी यादव और बिंदेश्वर यादव आए और अभियुक्तों ने उन पर भी हमला किया । उसने यह भी बताया है कि आहत सुरेश यादव की मृत्यु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई थी ।

(घ) इत्तिलाकर्ता नरेश यादव की फर्द ब्यान के आधार पर ब्रह्मदेव यादव, सुनील यादव पुत्र बाले यादव, दरोगी महतो, माहो यादव, पारो महतो, कुलदीप यादव, सुधीर यादव, बाले यादव, शिव नंदन यादव और सूरज यादव के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 और 302 के अधीन पुलिस थाना गोविंद पुर में 1997 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11 रजिस्ट्रीकृत की गई । सुनील यादव पुत्र मुसाफिर यादव का नाम भी संस्थित किया गया । तारीख 29 अप्रैल, 1997 को उप निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता ने नवादा सदर अस्पताल में सुनील यादव पुत्र मुसाफिर यादव का कथन अभिलिखत किया और उसके कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 (i) उपेन्द्र यादव (ii) रामबालक यादव (iii) बसुदेव यादव (iv) अनिल यादव (v) गनौरी यादव (vi) दामोदर यादव (vii) सुरेश यादव (viii) उमेश यादव (ix) मुनी यादव (x) नरेश यादव (xi) मैनेजर यादव के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 और 447 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दोनों मामलों में गोविंद पुर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी उप निरीक्षक मुहम्मद शिबली द्वारा अन्वेषण किया गया ।

(ङ) अन्वेषण के पश्चात्, प्रथम इत्तिला सं. 11/97 में आरोप पत्र सं. 12/97 प्रस्तुत किया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में आरोप पत्र सं. 36/97 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात् मामला सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द कर दिया गया और सेशन विचारण सं. 333/97/40/97 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

(च) अभियोजन पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में दस साक्षियों अर्थात् डा. बिपुल कुमार (अभि. सा. 1), डा. आर. के. बिभूति (अभि. सा. 2), गनौरी यादव (अभि. सा. 3), बिंदेश्वर प्रसाद (अभि. सा. 4) **उर्फ** मैनेजर यादव, बसुदेव यादव (अभि. सा. 5), केशव यादव (अभि. सा. 6), मुंशी यादव (अभि. सा. 7), मिंटा देवी (अभि. सा. 8), नरेश यादव (अभि. सा. 9) और पुलिस थाना नवादा के भारसाधक अधिकारी मुहम्मद शिबली (अभि. सा. 10) की परीक्षा की ।

(छ) विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा

302 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भोगने और दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश दिया ।

(ज) विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्तों ने अलग-अलग कई अपीलें अर्थात् 2000 की दांडिक अपील सं. 293, 307, 311 और 371 पटना उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीं । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अभियोजन कथन स्वीकार करने के पश्चात्, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा सेशन न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की और सभी अपीलें खारिज कीं ।

(झ) उच्च न्यायालय के विनिश्चय से व्यथित होकर, पारो महतो (अभियुक्त सं. 5), कुलदीप यादव (अभियुक्त सं. 6), सुधीर यादव (अभियुक्त सं. 7) ने 2005 की दांडिक अपील सं. 531 फाइल की, ब्रह्मदेव यादव (अभियुक्त सं. 1) ने 2005 की दांडिक अपील सं. 532 फाइल की और दरोगी महतो (अभियुक्त सं. 2), बाले यादव (अभियुक्त सं. 8) और सूरज यादव (अभियुक्त सं. 11) ने इस न्यायालय के समक्ष 2005 की दांडिक अपील सं. 534 फाइल की ।

3. 2005 की दांडिक अपील सं. 531 और 534 में अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री राजन के. चौरसिया, 2005 की दांडिक अपील सं. 532 में के अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र श्री जे. पी. एन. गुप्ता और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री मनीष कुमार को सुना गया है ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/97 और 12/97

4. इत्तिलाकर्ता नरेश यादव की फर्द बयान के आधार पर, प्रथम इत्तिला सं. 11/97 पुलिस थाना गोविंद पुर में ब्रह्मदेव यादव, सुनील यादव, दरोगी महतो, माहो यादव, पारो महतो, कुलदीप यादव, सुधीर यादव, बाले यादव, शिव नंदन यादव और सूरज यादव के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 और 302 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई । सुनील यादव का नाम संस्थित किया गया ।

5. तारीख 29 अप्रैल, 1997 को लगभग 5.30 बजे पूर्वाह्न में नवादा सदर अस्पताल में उप निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता ने सुनील यादव पुत्र मुसाफिर यादव का कथन अभिलिखित किया और उसके कथन के आधार

पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 पुलिस थाना गोविंद पुर में उपेन्द्र यादव, रामबालक यादव, बसुदेव यादव, अनिल यादव, मैनेजर यादव, गनौरी यादव, दामोदर यादव, सुरेश यादव, उमेश यादव, मुनी यादव और नरेश यादव के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 और 447 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई ।

6. दोनों प्रथम रिपोर्टों में पुलिस थाना गोविंद पुर के भारसाधक अधिकारी उप निरीक्षक मुहम्मद शिबली द्वारा अन्वेषण किया गया । तारीख 30 जून, 1997 को आरोप पत्र सं. 12/97, ब्रह्मदेव यादव, सुनील यादव, दरोगी महतो, माहो यादव, पारो महतो, कुलदीप यादव, सुधीर यादव, बाले यादव, शिव नंदन यादव और सूरज यादव के विरुद्ध की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/97 में प्रस्तुत किया गया और सुनील यादव का नाम बाद में संस्थित किया गया था ।

7. अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र केशव यादव को छोड़कर, चूंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, सभी अभियुक्तों अर्थात् उपेन्द्र यादव, रामबालक यादव, बसुदेव यादव, अनिल यादव, मैनेजर यादव, गनौरी यादव, दामोदर यादव, उमेश यादव, मुनी यादव और नरेश यादव के विरुद्ध तारीख 17 दिसंबर, 1997 को पुलिस थाना गोविंदपुर में दर्ज कराई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में भी आरोप पत्र सं. 36/97 प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा संज्ञान किया गया और दंड संहिता की धारा 307 और 149 के अधीन आरोप विरचित किया गया ।

8. यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि अभियोजन साक्षियों ने मृतक सुरेश यादव की मृत्यु के स्थान के बारे में निश्चित साक्ष्य नहीं दिया है । कम से कम तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 164 के अधीन या धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान दिए गए कथन में यह उल्लेख किया है कि मृतक की मृत्यु उस स्थान पर हुई थी जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नरेश यादव (अभि. सा. 9) के कथन के प्रतिकूल है जिसमें यह कथन किया है कि मृतक की मृत्यु अस्पताल जाते समय रास्ते में हुई थी और यह तथ्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में इत्तिलाकर्ता सुनील यादव के कथन के साथ संगत है । सुनील यादव ने अपनी फर्द ब्यान में यह कथन किया है कि कहा-सुनी के दौरान सुरेश यादव को अग्न्यायुध से क्षति कारित हुई थी जो उपेन्द्र यादव के गोली चलाने से कारित हुई थी और उसकी मृत्यु हुई । दस्तावेजों के परिशीलन और अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से की गई

प्रतिपरीक्षा से अभियुक्तों का वृत्तांत संभाव्य हो जाता है जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में उल्लिखित है जिसके आधार पर आरोप पत्र सं. 36/97 इत्तिलाकर्ता/अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

प्रति मामलों में प्रक्रिया

9. उपरोक्त मुद्दे को समझने के लिए, संहिता की धारा 223(घ) को निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण होगा जो निम्न प्रकार है :—

223. किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा — निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात् —

(क) x x x

(ख) x x x

(ग) x x x

(घ) वे व्यक्ति जिनपर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है ;

(ङ) x x x

(च) x x x

(छ) x x x

10. इस न्यायालय ने उपरोक्त उपबंध का निम्नलिखित विनिश्चयों में निर्वचन किया है । **हरिन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या संहिता की धारा 223 के अधीन न्यायालय को पुलिस चालान और परिवाद पर दर्ज किए गए मामले जिसमें पुलिस चालान में अभियोजन का वृत्तांत और परिवाद मामले का वृत्तांत सारभूत रूप से भिन्न, विरोधाभासी और परस्पर रूप से पृथक् है तब ऐसे मामलों को संगृहीत करने के लिए अनुज्ञात किया गया है या नहीं । प्रश्न यह था कि क्या न्यायालय को मामले के तथ्य और परिस्थितियों में यह निदेश देना चाहिए कि दोनों मामलों का विचारण एक साथ किया जाना चाहिए किंतु उन्हें संगृहीत नहीं किया जाएगा अर्थात् साक्ष्य दोनों मामलों में अलग-अलग अभिलिखित किया जाएगा और उनका

---

[1] (1985) 1 एस. सी. सी. 422.

निपटारा एक साथ किया जा सकता है सिवाय उस सीमा तक कि अभियोजन पक्ष के ऐसे साक्षी जो दोनों पक्षों के साक्षी हैं, उनकी परीक्षा केवल एक ही मामले में की जा सकती है और उनके साक्ष्य को अन्य मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है । तथ्यात्मक ब्यौरों का विश्लेषण करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है :–

> "8. इस विशिष्ट मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, हम यह महसूस करते हैं कि अपनाया जाने वाला समुचित तरीका यह निदेश करना है कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दो मामलों का एक साथ विचारण किया जाना चाहिए किंतु विचारण को समेकित नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् दोनों मामलों में एक के बाद दूसरा साक्ष्य अलग-अलग इस सीमा के सिवाय अभिलिखित किया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के उन साक्षियों की जो दोनों मामलों में साक्षी हैं, एक ही मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उनके साक्ष्य को उसी प्रकार पढ़ा जाना चाहिए जैसे दूसरे मामले में पढ़ा गया है । एक मामले में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात्, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश को अपना निर्णय रोककर रखना चाहिए और उसके पश्चात् दूसरे मामले में अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित करना चाहिए । इसके पश्चात् दो अलग-अलग निर्णयों द्वारा मामलों का एक साथ निपटारा इस सावधानी के साथ करना चाहिए कि एक मामले का निर्णय दूसरे मामले में अभिलिखित साक्ष्य पर आधारित न हो ....।"

11. **बलवीर** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 223 के खंड (क) और (घ) पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि प्राथमिक स्थिति यह है कि व्यक्तियों को या तो एक ही अपराध का अभियुक्त बनाना चाहिए या ऐसे भिन्न अपराधों का अभियुक्त बनाना चाहिए जो "एक ही संव्यवहार में कारित किए गए हों"। "एक ही संव्यवहार में कारित किए गए हों" अभिव्यक्ति का प्रयोग किए जाने का सुझाव दिया गया है । इस अभिव्यक्ति का यह अभिप्राय नहीं है कि "एक ही विषयवस्तु के संबंध में हो" । बहुत से अपराध जब एक ही संव्यवहार में किए जाते हैं, तब इसकी

---

[1] (2000) 1 एस. सी. सी. 285.

इस संबंध में परख की जानी चाहिए कि क्या वे प्रयोजन या कारण और प्रभाव या मुख्य और उससे संबंधित तथ्य की अपेक्षा एक-दूसरे अपराध से संबंधित हैं या नहीं ताकि कृत्य का निरंतर परिणाम दिखाई दे । इस प्रकार जहां प्रयोजन या उद्देश्य एक ही जैसा हो, जहां कार्य में निरंतरता बनी हो, तब वे सभी व्यक्ति जो उस कार्य में आलिप्त हैं उसी या ऐसे भिन्न अपराधों के अभियुक्त हो सकते हैं जो एक ही संव्यवहार में कारित होते हैं ।

12. **लालू प्रसाद** बनाम **राज्य द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के अधीन मामलों का समामेलन विचारण न्यायालय की वैवेकिक शक्ति है और उसका यह समाधान होना चाहिए कि व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह कि मामलों का समामेलन करना समीचीन है ।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210(2) पर आधारित दलील के संबंध में **पाल** उर्फ **पल्ला** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण होगा, जो निम्न प्रकार है :–

> "27. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 की उपधारा (2) के अधीन यह उपबंध किया गया है कि यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है तो, मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ-साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हैं । उपधारा (3) के अधीन यह उपबंध किया गया है कि यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है तो वह उस जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

---

[1] (2003) 11 एस. सी. सी. 786.
[2] (2010) 10 एस. सी. सी. 123.

28. यद्यपि उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के अधीन मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और प्राइवेट परिवाद से उद्भूत दोनों मामलों का विचारण कर सकता है, हमारे मतानुसार ऐसा ही उस स्थिति का अनुध्यात किया गया है जहां परिवाद मामले में किसी अभियुक्त के संबंध में अपराध का संज्ञान लिए जाने पर और पुलिस अन्वेषण के एक अलग मामले में उस व्यक्ति को पुनः अभियुक्त बनाया गया है, तब मजिस्ट्रेट परिवाद मामले और पुलिस रिपोर्ट से उद्भूत मामले में जांच या विचारण एक साथ इस प्रकार कर सकता है मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही संस्थित किए गए हों तथापि, वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति ऐसी नहीं है, चूंकि दोनों अलग-अलग कार्यवाहियों में अभियुक्त अलग-अलग हैं और वास्तव में स्थिति ऐसी है कि इस बात की पूरी संभावना है कि एकल विचारण किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि दोनों कार्यवाहियों में से एक कार्यवाही में जो व्यक्ति अभियुक्त है वह दूसरी कार्यवाही में साक्षी है ।

30. जैसाकि **हरजिंदर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है कि दो मामलों अर्थात् एक पुलिस चालान पर आधारित और दूसरा परिवाद पर आधारित, को एक साथ मिलाना और समामेलन करना नहीं चाहिए यदि दोनों मामलों में अभियोजन वृत्तांत सारभूत रूप से भिन्न, विरोधाभाषी और परस्पर अनन्य हों किंतु उनका विचारण एक साथ किया जाना चाहिए और दोनों मामलों में साक्ष्य अलग-अलग अभिलिखित किया जाना चाहिए ताकि दोनों मामलों का निपटारा एक साथ किया जा सके ।"

14. वर्तमान मामले में, हमने पहले ही यह अवेक्षा की है कि तारीख 28 अप्रैल, 1997 को खलिहान में हुई घटना के बाबत अन्वेषण उसी अन्वेषक अधिकारी द्वारा किया गया है । यद्यपि प्रति मामले में अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में शिकायत अगले दिन अर्थात् तारीख 29 अप्रैल, 1997 को लगभग 5.30 बजे पूर्वाह्न में दर्ज कराई गई थी, उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि दोनों मामले उस घटना से संबंधित हैं जो तारीख 28 अप्रैल, 1997 को 9 बजे पूर्वाह्न में घटित हुई थी जो कि निम्न सूचना से भी स्पष्ट है :–

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/97 पुलिस थाना गोविंदपुर	प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 पुलिस थाना गोविंदपुर
इत्तिलाकर्ता - नरेश यादव (अभि. सा. 9)	इत्तिलाकर्ता सुनील यादव (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 11/97 में का अभियुक्त सं. 9)
आरोप पत्र – तारीख 30 जून, 1997 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया आरोप – तारीख 19 मार्च, 1999 को आरोप विरचित किया गया विचारण न्यायालय के निर्णय की तारीख – 27 जून, 2000	तारीख 17 दिसंबर, 1997 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय के निर्णय की तारीख – 11 नवंबर, 2009
अभियुक्त व्यक्ति 1. ब्रह्मदेव यादव **उर्फ** भोनू यादव (बंदूक) 2. दरोगी महतो (बंदूक) 3. माहो यादव (बंदूक) 4. सुनील यादव पुत्र बाले यादव (बंदूक) 5. पारो महतो (लाठी) 6. कुलदीप यादव (गंडासा) 7. सुधीर यादव (भाला) 8. बाले यादव (गंडासा) 9. सुनील यादव पुत्र मुसाफिर यादव (सैफ) (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में का इत्तिलाकर्ता)	अभियुक्त व्यक्ति 1. उपेन्द्र यादव (पिस्तौल) 2. रामबालक यादव (बंदूक) 3. बसुदेव यादव (गंडासा) 4. अनिल यादव (गंडासा) 5. बिंदेश्वर यादव **उर्फ** मैनेजर यादव (गंडासा) 6. गनौरी यादव (गंडासा) 7. दामोदर यादव (छड़ी) 8. सुरेश यादव (छड़ी) 9. उमेश यादव (छड़ी)

10. शिवन यादव (गंडासा) 11. सूरज यादव (भैंला)	10. मुनी यादव (गंडासा) 11 नरेश यादव (गंडासा)
मृतक सुरेश को पहुंची क्षति 1. मुख पर 0.5 इंच व्यास का विदीर्ण घाव जिसके किनारे उल्टे हुए तथा जले हुए हैं यह घाव नाभि के 0.5 इंच की दूरी पर दाईं ओर है जिसकी गहराई निश्चित नहीं की गई है और यह प्रविष्टि घाव है 2. दाएं वक्ष के नीचे और उदर के नीचे 3 इंच x 2 इंच माप से लेकर 1 इंच x 0.5 इंच माप की चार खरोंचे हैं आहत व्यक्ति 1. गनौरी यादव अर्थात् अभि सा. 3 (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में का अभियुक्त सं. 6) 2. बिंदेश्वर यादव **उर्फ** मैनेजर यादव अर्थात् अभि. सा. 4 (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में का अभियुक्त सं. 5) 3. मुंशी यादव अर्थात् अभि.सा. 7 (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में का अभियुक्त सं. 10) 4. नरेश यादव अर्थात् अभि. सा. 9 (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 में का अभियुक्त सं. 11)	आहत व्यक्ति 1. ब्रह्मदेव यादव **उर्फ** भोनू यादव (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/97 में का अभियुक्त सं. 1) 2. सुनील यादव (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/97 में का अभियुक्त सं. 9) 3. मुसाफिर यादव

15. उपरोक्त तथ्यात्मक ब्यौरों को अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए कथनों को दृष्टिगत करते हुए और इस न्यायालय द्वारा अनुध्यात सिद्धांतों के आलोक में अन्वेषक अधिकारी को विचारण न्यायालय की जानकारी में दोनों प्रथम इत्तिला रिपोर्टों को लाना चाहिए था जो एक ही घटना से उद्भूत हैं ताकि संबंधित पक्षकारों के साथ होने वाले अन्याय से बचा जा सके ।

अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में फर्क

16. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए अनेक साक्षियों में, अभियोजन पक्ष ने नरेश यादव (अभि. सा. 9), गनौरी यादव (अभि. सा. 3), बिंदेश्वर यादव (अभि. सा. 4), केशो यादव (अभि. सा. 6), मुंशी यादव (अभि. सा. 7), मिंटा यादव (अभि. सा. 8) और डा. आर. के. बिभूति (अभि. सा. 2) के साक्ष्य पर प्रबलता से अवलंब लिया है ।

17. सबसे पहले हम नरेश यादव (अभि. सा. 9) के साक्ष्य पर विचार करेंगे । वह इत्तिलाकर्ता है और मृतक सुरेश यादव उसका भाई था । इस साक्षी के अनुसार सोमवार के दिन अर्थात् तारीख 28 अप्रैल, 1997 को वह सुरेश, गनौरी यादव और बिंदेश्वर यादव के साथ डीजल मशीन की मरम्मत कराने में व्यस्त था । ब्रह्मदेव यादव, दरोगी महतो, सुनील पुत्र बाले यादव, माहो यादव, कुलदीप यादव, बाले यादव, सूरज यादव, शिव नंदन यादव, सुनील यादव पुत्र मुसाफिर यादव, सुधीर यादव और पारो महतो अर्थात् कुल मिलाकर 11 व्यक्ति इकट्ठे होकर आए और उन्हें घेर लिया । ब्रह्मदेव यादव, सुनील यादव, दरोगी महतो और माहो यादव रायफल से लैस थे । बाले यादव, कुलदीप यादव, शिव नंदन यादव और सूरज यादव के पास गंडासा था । सुनील यादव पुत्र मुसाफिर यादव के हाथ में सैफ थी । सुधीर यादव के पास कटार थी और पारो महतो के हाथ में लाठी थी । उपरोक्त व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया जिस पर वे भागने लगे और जब ब्रह्मदेव यादव ने रायफल से गोली चलाई तो वह सुरेश यादव के उदर में लगी । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह सुरेश को उठाने गया, तब सुनील यादव (अभियुक्त सं. 4) ने अपनी सैफ से उसके ऊपरी होठ पर क्षति कारित की । बाले यादव (अभियुक्त सं. 8) ने गनौरी यादव की गर्दन पर गंडासे से वार किया और जब उसने अपने दाएं हाथ से उसके वार को रोका, तब उसे उसकी हथेली में क्षति कारित हुई । कुलदीप यादव ने भी उसके दाएं हाथ पर गंडासे से वार किया । शिव नंदन और सूरज यादव ने भी गनौरी यादव पर गंडासे से वार किए । सुधीर यादव

ने गंडासे का प्रयोग करते हुए बिंदेश्वर यादव के माथे पर क्षति पहुंचाई। कुलदीप यादव ने मुंशी यादव पर गंडासे से वार किया। पारो महतो ने भी गनौरी यादव को लाठी मारी। जब वे सुरेश को गोविंदपुर अस्पताल ले जा रहे थे, तब कुछ दूर चलने के पश्चात् ही रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। जब वे गोविंदपुर अस्पताल पहुंचे, उप निरीक्षक ने इस साक्षी का कथन अभिलिखित किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में उसने उपरोक्त सभी ब्यौरों का उल्लेख नहीं किया है। इस साक्षी के अनुसार सुरेश घटनास्थल पर जीवित था किंतु गोविंदपुर अस्पताल के रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तों द्वारा आयुधों का प्रयोग किए जाने के संबंध में इस साक्षी ने अपने उस कथन के अनुसार कथन नहीं किया है जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किया था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उप निरीक्षक ने उसकी मौजूदगी में रक्तरंजित मिट्टी अभिगृहीत की थी। उसने यह भी कथन किया है उप निरीक्षक ने रक्तरंजित कपड़े देखे थे फिर भी उसने उन्हें अभिगृहीत नहीं किया। इस साक्षी ने यह भी प्रकथन किया है कि सुसंगत समय पर वह डीजल इंजन की मरम्मत करा रहा था और मोहन नाम का मैकेनिक उस समय मौजूद था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह भी स्वीकार किया है कि इसी घटना के संबंध में एक अन्य प्रति मामला भी है और उसने न्यायालय को यह बताया कि उसने उस दिन ब्रह्मदेव (अभियुक्त सं. 1), सुनील यादव (अभियुक्त सं. 9) और मुसाफिर यादव के शरीर पर कोई क्षति नहीं देखी थी। इस साक्षी ने यह भी उत्तर दिया है कि जब सुरेश उन सबसे आगे चल रहा था, तो उसके उदर में गोली लगी थी। ऐसा पक्षकथन किसी भी साक्षी ने नहीं किया है कि सुरेश अभियुक्तों की ओर दौड़ रहा था। इसके प्रतिकूल, साक्षियों ने निश्चित रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त व्यक्ति पीछा कर रहे थे और सुरेश और अन्य व्यक्ति उनसे जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में, कोई भी तर्कसम्मत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि मृतक सुरेश यादव को उसके उदर में गोली कैसे लगी। उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यद्यपि डीजल मैकेनिक मोहन वहां मौजूद था उसने अपने पश्चात्वर्ती कथन में अपने साथ नातेदारी होने से इनकार किया है। उससे यह पूछा गया कि घटना वास्तव में उस प्रकार घटित नहीं हुई है जैसा कथन किया गया है और सभी अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उसने अभियुक्तों को कारित क्षति नहीं देखी थी।

18. अगला साक्षी जिसका अभियोजन पक्ष ने बलपूर्वक अवलंब किया है, मुंशी यादव (अभि. सा. 7) है । इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति हथियारों से लैस थे और ब्रह्मदेव यादव (अभियुक्त सं. 1) ने बंदूक से गोली चलाई जो सुरेश यादव के उदर में लगी और वह जमीन पर गिर गया और जब गनौरी यादव (अभि. सा. 3) उसे बचाने के लिए गया, तब पांच अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् बाले यादव (अभियुक्त सं. 8), कुलदीप यादव (अभि. सा. 6), सुनील यादव (अभियुक्त सं 4), सूरज यादव (अभि. सा. 11) और शिव नंदन यादव (अभियुक्त सं. 10) ने, जो सभी घातक हथियारों से लैस थे, उसे पीटने लगे । सुरेश यादव की मृत्यु अस्पताल के रास्ते में ही हो गई । उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने घटनास्थल पर मैकेनिक मोहन की मौजूदगी से इनकार नहीं किया है । उसके अनुसार, घटना तब घटित हुई जब डीजल इंजन चालू होने वाला था । इस साक्षी के समक्ष एक विशिष्ट सुझाव यह रखा गया कि सुरेश यादव की मृत्यु उपेन्द्र यादव द्वारा चलाई गई गोली से हुई है । अभि. सा. 7 के आचरण पर ध्यान देना सुसंगत होगा । उसने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि घटना के पश्चात् वह चराने के लिए गाय लेने चला गया था । यह अप्राकृतिक है कि घटना देखने के पश्चात् अपराध के संबंध में अपने साथी ग्रामवासियों से बिना मिले शांति से अपनी गाय चराने के लिए चला गया जो कि अविश्वसनीय है ।

19. एक अन्य साक्षी बिंदेश्वर प्रसाद **उर्फ** मैनेजर यादव (अभि. सा. 4) है जिसके साक्ष्य का अवलंब अभियोजन पक्ष ने लिया है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त के रूप में 17 व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो घटनास्थल पर मौजूद थे और उसके अनुसार उन्हें देखकर उसे अपनी जान का खतरा हुआ किंतु वह भागा नहीं और वहीं खड़ा रहा । उसने कहा, जब सुरेश को गोली लगी, वे भागने लगे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि सुरेश यादव के सिवाय, पिटाई किए जाने से कोई भी अन्य व्यक्ति नीचे नहीं गिरा, सभी भागते रहे और उनमें से कुछ व्यक्ति अपने घर पहुंच गए और कुछ व्यक्ति वहीं रहे इस साक्षी ने अभियुक्त व्यक्ति के रूप में अधिक नाम ही नहीं जोड़े हैं अपितु यह भी प्रकथन किया है कि गोलियां चलने के पश्चात् बम विस्फोट भी हुआ था । उसने यह भी उल्लेख किया है कि सुरेश यादव की मृत्यु अस्पताल के रास्ते में हुई थी । इस साक्षी को विशेष सुझाव यह भी दिया गया है कि सुरेश यादव की मृत्यु उपेन्द्र यादव द्वारा चलाई गई गोली से हुई है । यहां भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन

उसके कथन की ओर हमारा ध्यान दिलाकर यह इंगित किया गया है कि महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में बहुत से विरोधाभास और असंगतताएं हैं ।

20. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया अगला साक्षी गनौरी यादव (अभि. सा. 3) है । बिंदेश्वर यादव (अभि. सा. 4) की भांति, इस साक्षी ने भी अभियुक्तों के रूप में 17 व्यक्तियों को नामित किया है जो घटनास्थल पर आए थे और अभियुक्त सं. 1 ने बंदूक से गोली चलाई थी जो सुरेश यादव के उदर में लगी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति मारपीट करने लगे इस साक्षी ने कहा है कि जब वह नीचे गिर गया उसकी गर्दन पर गंडासे से वार नहीं किया गया था । इस साक्षी ने यह प्रकथन किया है कि सुरेश यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी । उस पर कटार से एक वार और गंडासे से दो वार किए गए थे । उसने यह स्पष्ट किया है कि कटार से किया गया उक्त वार उसके शरीर में वेध कर किया गया था न कि लाठी की तरह वार करके । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि कटार से वार किए जाने से उसके बनियान में भी छेद हो गया था । जैसा कि इसके पहले कथन किया गया है, उसने यह प्रकथन किया है कि सुरेश यादव की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी जो कि अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों के कथनों से मेल नहीं खाता है । उसने यह कहा है कि डीजल इंजन पर रक्त नहीं गिरा था, तथापि, घटनास्थल पर रक्त गिरा था । इस साक्षी ने न्यायालय को यह भी बताया कि सभी आहत व्यक्तियों के घावों से रक्त निकल रहा था और उसके धब्बे गोविंदपुर अस्पताल तक मौजूद थे । उसने यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर कोई भी क्षति नहीं देखी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह पूरी तरह सचेत नहीं था जब उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उप निरीक्षक को कथन दिया था । उसने बम का प्रयोग किए जाने को भी निर्दिष्ट किया है जो एक थैले में रखा हुआ था, यद्यपि उसने इस तथ्य के बारे में न्यायालय के समक्ष नहीं कहा है ।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया एक अन्य साक्षी केशो यादव (अभि. सा. 6) अर्थात् मृतक का पिता है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पास उसके खेत में डीजल इंजन लगा हुआ है जो ग्राम के उत्तर की ओर है । उसके पुत्र अर्थात् सुरेश यादव और नरेश यादव कृषि के प्रयोजन हेतु उक्त इंजन की मरम्मत कर रहे थे । उस समय, सभी अभियुक्त अर्थात् ब्रह्मदेव यादव (अभियुक्त सं. 1), दरोगी महतो (अभियुक्त सं. 2), माहो यादव (अभियुक्त सं. 3), सुनील यादव

सं. 4) अपने हाथों में बंदूकें लिए हुए थे, अभियुक्त कुलदीप यादव, शिवनंदन यादव, बालेश्वर, सूरज के पास गंडासे थे, सुनील यादव के पास सैफ थी, सुधीर यादव के पास कटारी और पारो महतो लाठी लेकर वहां आया था । इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वहां पहुंचते ही अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया और जब वे भागने लगे तब उन्हें अजीज मियां के खेत में पकड़ लिया । अभियुक्त ब्रह्मदेव यादव (अभियुक्त सं. 1) ने बंदूक से गोली चलाई और गोली सुरेश यादव के उदर में लगी और वह नीचे गिर गया । नरेश यादव, सुरेश यादव को जमीन से उठाने गया तो सुनील यादव ने उस पर सैफ से वार किया जो नरेश यादव के होठों पर लगी । जब गनौरी यादव ने उसे उठाया तो कुलदीप यादव ने उसकी गर्दन पर गंडासे से वार किया । उसने यह भी प्रकथन किया है कि उसके पुत्र सुरेश यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी । उसने न्यायालय को यह भी बताया है कि गोली से उसके पुत्र के बनियान में छेद हो गया था और कपड़े के किनारे कटे हुए थे जो पुलिस को सौंप दिया गया ।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से एक अन्य साक्षी डा. बसुदेव यादव (अभि. सा. 5) की परीक्षा की गई है । इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन अनुप्रमाणित किया है जो उसके समक्ष उप निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि नरेश यादव ने उसके सामने अंगूठे की छाप लगाई थी और वह वहां पर मौजूद था । इस साक्षी ने घटना के बारे में कुछ नहीं कहा है । मृतक की पत्नी मिंटा देवी (अभि. सा. 8) ने भी घटना के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं की है ।

23. डा. आर. के. बिभूति की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में की गई है जिन्होंने आहत नरेश यादव (अभि. सा. 9) और अन्य आहत साक्षियों की चिकित्सा परीक्षा की है । उन्होंने नरेश यादव, मुंशी यादव, गनौरी यादव, बिंदेश्वर यादव की चिकित्सा परीक्षा की है और उपचार के पश्चात् इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया है । डा. बिपुल कुमार की, जिन्होंने शवपरीक्षण किया था, अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है और उन्होंने मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

> "(1) प्रविष्टि घाव के दाईं ओर 0.5 इंच की दूरी पर अंडाकार विदीर्ण घाव जिसका व्यास 0.5 इंच है और किनारे उल्टे तथा झुलसे हुए हैं और इस घाव की गहराई (अपठनीय) निश्चित नहीं है ।

(2) पीठ और वक्ष तथा उदर के निचले दाएं भाग पर 3 इंच × 2 इंच से लेकर 1 इंच × 0.5 इंच माप की चार खरोंचें ।

विच्छेदन करने पर उदरीय गुहा में रक्त भरा हुआ पाया जाता है और उसमें रक्त के थक्के बने हुए हैं, छोटी आंत अनुप्रस्थ बृहदान्त्र, में चार जगह पर अनेक छिद्र हैं और रेखीय स्थिति में ये अंग विदीर्ण हैं, उदरीय महाधमनी का विच्छेदन करने पर प्रथम लुम्बर स्पाइन पर बंदूक की गोली जैसी धातु दिखाई देती है जिसकी लंबाई 1.5 इंच और चौड़ाई 1.6 इंच है । शेष अंतरियां ठीक अवस्था में हैं और उनका रंग पीला है, आमाशय में लगभग 100 मि. ली. द्रव है । मूत्राशय रिक्त है, हृदय के सभी प्रकोष्ठ भी रिक्त हैं ।

मृत्यु का कारण – ऊपर उल्लिखित क्षतियों से होने वाला रक्तस्राव और आघात । बंदूक जैसे अग्न्यायुध द्वारा कारित क्षति सं. 1 । लाठी जैसी कठोर और कुंद वस्तु द्वारा कारित क्षति सं. 2 ।

24. डा. आर. के. बिभूति के साक्ष्य के विश्लेषण और क्षति की प्रकृति के बारे में आहत व्यक्तियों का साक्ष्य एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा किए गए साक्षियों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि वे घटना घटित होने के सही स्थान की पहचान नहीं कर सके हैं अर्थात् घटना डीजल इंजन के निकट घटित हुई थी या अजीज मियां के खेत में । उन सभी ने क्षतियों की प्रकृति के बारे में भिन्न वृत्तांत दिया है और उनके साक्ष्य इस संबंध में संगत नहीं हैं कि क्या मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर हुई या अस्पताल जाते समय रास्ते में या अस्पताल में । इन सभी विरोधाभासों, अनिश्चितताओं को आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता है जबकि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को भी इसी घटना में गोलियों से क्षति कारित हुई है, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 12/97 के रूप में प्रतिमामला दर्ज किया गया है ।

दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषसिद्धि

25. दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के अतिरिक्त, सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 149 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि सबसे पहले तो यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तों का कोई भी सामान्य उद्देश्य नहीं था, यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाए कि सामान्य उद्देश्य था, फिर भी वह किसी भी अभियुक्त की

जानकारी में नहीं था, ऐसी परिस्थितियों, दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंड वांछनीय नहीं है । इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जब दंड संहिता की धारा 149 के अधीन आरोप लगाया जाता है, विधिविरुद्ध जमाव के भाग के रूप में अभियुक्त की मौजूदगी दोषसिद्धि किए जाने के लिए पर्याप्त है, यदि उसके द्वारा कोई भी स्पष्ट कृत्य है नहीं भी किया गया हो । काउंसेल के अनुसार अन्य शब्दों में यह भी कहा गया है कि विधिविरुद्ध जमाव दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है । परस्पर विरोधी दावे को समझने के लिए, धारा 149 को निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण होगा जो निम्न प्रकार है :–

धारा 149 : विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी – यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य, उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।

26. उपरोक्त उपबंध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषसिद्ध करने के पूर्व, न्यायालय को सामान्य उद्देश्य की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकालना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उद्देश्य विधिविरुद्ध था । ऐसे निष्कर्ष के अभाव में तथा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई भी स्पष्ट कार्य न किए जाने पर मात्र यह तथ्य कि वे हथियारों से लैस थे, सामान्य उद्देश्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । धारा 149 के अंतर्गत विशिष्ट अपराध का उल्लेख किया गया है और यह धारा उस अपराध के दंड के बारे में है । जब कभी न्यायालय अपराध से संबंधित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को धारा 149 के अधीन दोषसिद्ध करता है, तब विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और जिस साक्ष्य पर विचार किया गया है उससे केवल सामान्य उद्देश्य की प्रकृति ही दर्शित नहीं होनी चाहिए अपितु यह भी दर्शित होना चाहिए उद्देश्य विधिविरुद्ध था । दंड संहिता की धारा 149 के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित किए जाने के पूर्व, दंड संहिता की धारा 141 के आवश्यक संघटकों का भी समाधान किया जाना चाहिए । उपरोक्त सिद्धांतों को **भूदेव मंडल और अन्य** बनाम

बिहार राज्य[1] वाले मामले में दोहराया गया है ।

27. **रणवीर यादव** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जहां गुटों में लड़ाई होती हैं वहां निर्दोष व्यक्तियों को दोषियों के साथ सम्मिलित करने की प्रवृत्ति होती है और न्यायालय के लिए ऐसी भयावह स्थिति से बचना अत्यंत कठिन होता है । यह दलील दी गई है कि दोषियों के साथ निर्दोषों को आलिप्त किए जाने के जोखिम के विरुद्ध मात्र वास्तविक सुरक्षोपाय यह है कि स्वीकार किए जाने योग्य साक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए जिसके आधार पर वास्तविक अभियुक्तों को ही आलिप्त किया जाए और उससे न्यायालय का समाधान भी हो जाए ।

28. **अलाउद्दीन मियां और शरीफ मियां और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "....अतः, विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य पर प्रतिनिधिक बाध्यता अधिरोपित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि अपराध गठित करने वाला कृत्य उस जमाव के सामान्य आशय को अग्रसर करने में कारित किया गया है या कृत्य ऐसा है कि उस जमाव के सदस्य यह जानते थे कि उस जमाव के सामान्य आशय को अग्रसर करने में अपराध कारित किया जाना संभाव्य है । अतः, इस धारा के अधीन, विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य आपराधिक कार्य के लिए या अन्य किसी सदस्य के कार्यों के लिए या उस जमाव के सदस्यों के कार्य के लिए दायी हो जाता है परंतु यह तब जबकि वह कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है/किए जाते हैं या उस जमाव का प्रत्येक सदस्य यह जानता था कि ऐसा कार्य कारित किया जाना संभाव्य है । इस धारा के अंतर्गत विशिष्ट अपराध सृजित होता है और घटना के अनुक्रम में कारित अपराध या अपराधों के लिए विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को दायी ठहराता है परंतु यह तब जबकि वह कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में कारित किया गया हो या कार्य ऐसा हो जिसके संबंध में जमाव का प्रत्येक सदस्य यह जानता हो कि वह अपराध कारित किया जाना संभाव्य है । चूंकि इस धारा के अंतर्गत

[1] (1981) 2 एस. सी. सी. 755.

[2] (1995) 4 एस. सी. सी. 392.

[3] (1989) 3 एस. सी. सी. 5.

आन्वयिक दंड दायित्व अधिरोपित किया जाता है, इसका सावधानीपूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि इसके अंतर्गत विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को उनके सहयोगियों द्वारा कारित किए गए अपराध या अपराधों के लिए या जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए दंडित किया जाता है । प्रत्येक मामले में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या अपराध विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कारित किया गया है या नहीं या अपराध ऐसा है जिसके संबंध में सदस्य यह जानते थे किं ऐसा अपराध कारित किया जाना संभाव्य है । सामान्य उद्देश्य और कारित किए गए अपराध के बीच सीधा संबंध होना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपराध कारित किया गया है तब ऐसी स्थिति में उस जमाव का प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए दायी होगा । अतः, विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा, धारा 141 के अधीन उल्लिखित पांच में से एक या अधिक उद्देश्यों के अग्रसर में कारित किया गया कोई भी अपराध उसके उस सहयोगी को दंड संहिता की धारा 149 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दायी ठहराएगा जिसने विधिविरुद्ध जमाव में भाग लिया है...... ।"

29. दंड संहिता की धारा 149 को प्रवृत्त करने में विधान मंडल का आशय यह नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों द्वारा कारित किए गए प्रत्येक अपराध के लिए दंडित किया जाए । धारा 149 के लागू किए जाने के लिए, यह दर्शित किया जाना चाहिए कि विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में आपराधिक कृत्य किया गया है और यह जमाव के अन्य सदस्यों की जानकारी में भी होना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध कारित किया जाना संभाव्य है । यदि जमाव के सदस्य यह जानते थे कि या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किसी विशेष अपराध के कारित किए जाने की संभावना से अवगत थे, तब वे दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दायी होंगे ।

30. **राजेन्द्र शांताराम टांडेकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 149 को पुनः स्पष्ट करते

[1] (2003) 2 एस. सी. सी. 257 = (2003) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 506.

हुए निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"14. भारतीय दंड सहिता, 1860 की धारा 149 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य, उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा । धारा 149 के दो खंड निश्चितता की कोटि की दृष्टि से भिन्न हैं । पहले खंड में विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध कारित किया जाना अनुध्यात किया गया है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि वे अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया गया है । दूसरे खंड के अंतर्गत उस कृत्य का कारित किया जाना आता है जो जमाव का आवश्यक रूप से सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता, फिर भी जमाव के सदस्य को यह जानकारी थी कि ऐसे अपराध का कारित किया जाना संभाव्य है जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया गया है । एक अपराध का कारित किया जाना, सामान्य उद्देश्य हो सकता है और एक अन्य अपराध के कारित किए जाने की संभावना फिर भी हो सकती है, जिसकी जानकारी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को पूरी तरह हो सकती है । किसी भी स्थिति में, जमाव का प्रत्येक सदस्य जमाव के किसी अन्य सदस्य द्वारा वास्तव में कारित किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी होगा । अपराध के कारित किए जाने की मात्र संभाव्यता के आधार पर यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसे अपराध के कारित किए जाने की संभाव्यता विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य की जानकारी में थी । वास्तव में ऐसी जानकारी होने का प्रत्यक्ष साक्ष्य इकट्ठा करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है । परिस्थितियों से घटना की पृष्ठभूमि, हेतु जमाव की प्रकृति, जमाव के सदस्यों द्वारा धारण किए गए आयुधों की प्रकृति, उनके सामान्य उद्देश्य और सदस्यों का अपराध के पूर्व और उसके पश्चात् आचरण से संबंधित निष्कर्ष निकाला जा सकता है । जब तक कि धारा 149 का कोई भी खंड लागू किया जाता है और न्यायालय का तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर धारा 149 के किसी भी खंड के प्रतिनिर्देश दायित्व अधिरोपित करने के लिए मात्र इस कारण से

समाधान हो जाता है कि आपराधिक कृत्य जमाव के सदस्य द्वारा कारित किया गया है तब उस जमाव का प्रत्येक अन्य सदस्य भी उस आपराधिक कृत्य का दायी हो जाता है । आपराधिक कृत्य के कारित कि जाने की संभाव्यता के संबंध में निकाला गया यह निष्कर्ष कि जमाव के ऐसे एक अन्य सदस्य को आपराधिक कृत्य की जानकारी थी जिसे उक्त आपराधिक कृत्य के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी ठहराने की ईप्सा की गई है ....।"

ऐसा ही सिद्धांत **पंजाब राज्य** बनाम **संजीव कुमार** उर्फ **संजू और अन्य**[1] वाले मामले में दोहराया गया है ।

धारा 149 लागू किए जाने के लिए संक्षिप्त सिद्धांत

31. हमारे आदेश के पूर्ववर्ती भाग में, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का विश्लेषण किया है और हमने उसमें आई कई कमियों को भी, इंगित किया गया है । हमारी राय में, सुरेश यादव की हत्या के संबंध में ब्रह्मदेव यादव (अभियुक्त सं. 1) के सिवाय किसी भी अभियुक्त द्वारा कोई भी प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य कारित नहीं किया गया है । यदि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने सुरेश यादव की हत्या करने का आशय किया होता या हत्या के सामान्य उद्देश्य में भाग लिया होता तब उन्होंने हत्या कारित किए जाने के अभिकथित सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन हथियारों का प्रयोग अवश्य किया होगा जिन्हें वे अभिकथित रूप से साथ लेकर आए थे । सेशन न्यायाधीश ने विश्लेषण किए जाने पर, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी ग्यारह अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307/149 के अधीन जानलेवा हमला करने और नरेश यादव, मुंशी यादव, बिन्देश्वर यादव और गनौरी यादव को क्षति पहुंचाने का कोई भी अपराध नहीं बनता है । विद्वान् न्यायाधीश ने यह भी मत व्यक्त किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम अभियुक्तों में से चार अभियुक्त बंदूकों से लैश थे किंतु उपर्युक्त क्षतिग्रस्त अभियोजन साक्षियों ने किसी भी साक्षी को बंदूक की गोली से क्षति कारित नहीं हुई है । यदि अभियुक्तों ने साक्षियों की हत्या करने का आशय किया होता, तब उन्होंने ऐसे आयुध जैसे कि बंदूक, का प्रयोग अवश्य किया होता जिससे अवश्य ही हत्या कारित की जा सके । इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि सामान्य उद्देश्य की जानकारी किसी भी अभियुक्त को नहीं थी और दंड संहिता की

---

[1] (2007) 9 एस. सी. सी. 791.

धारा 149 के लागू किए जाने से संबंधित परिकल्पित सिद्धांतों और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि दंड संहिता की धारा 149 के अधीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित नहीं है ।

32. **सभी मुद्दों का संक्षेपण :**

(क) यद्यपि दोनों प्रथम इत्तिला रिपोर्टों (11/97 और 12/97) के मामलों में एक ही अन्वेषक अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया गया है, इस साक्षी ने अनुशासन के साथ कार्य नहीं किया है और न ही उसने विचारण न्यायाधीश का ध्यान इसी घटना से उद्भूत प्रति मामले की ओर दिलाया है ।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभियोजन साक्षियों के कथनों और न्यायालय में दिए गए उनके साक्ष्य का परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि जानबूझकर और विचार-विमर्श करके कथनों में संशोधन किए गए हैं और विश्वसनीय स्पष्टीकरण के अभाव में उनके परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है ।

(ग) अभियोजन पक्ष का पक्षकथन स्पष्ट नहीं है विशेषकर वास्तविक घटनास्थल के संबंध में, चूंकि कुछ साक्षियों ने यह साक्ष्य दिया है कि घटनास्थल डीजल इंजन के निकट है और कुछ ने यह साक्ष्य दिया है कि घटना अजीज मियां के खेत में घटित हुई है । हमने पहले ही महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों में आए विरोधाभासों का उल्लेख किया है और सभी अभियुक्तों को उन साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध करना उचित नहीं है ।

(घ) यहां तक कि साक्षियों को पहुंची अभिकथित क्षतियों के वर्णन, अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए ब्यौरों और चिकित्सीय साक्ष्य में महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर विभिन्नताएं हैं ।

(ङ) डीजल मैकेनिक अर्थात् मोहन यादव की परीक्षा न किया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है । यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोजन साक्षियों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने उसकी परीक्षा क्यों नहीं की है ।

(च) इसी प्रकार, अन्वेषण अधिकारी ने रक्तरंजित कपड़े और घटनास्थल से मिट्टी सहित अन्य वस्तुएं प्राप्त तो की हैं परंतु इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा इन वस्तुओं की परीक्षा कराई गई है या नहीं और उसका क्या परिणाम हुआ ।

(छ) यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सभी अभियुक्तों ने सामान्य उद्देश्य में भाग लिया था, उद्देश्य भी साबित नहीं किया गया है और अभियुक्तों का अपराध में भाग लेना विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है । सामान्य उद्देश्य और उसमें प्रत्येक अभियुक्त सदस्य द्वारा भाग लिए जाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष न निकाले जाने पर दंड संहिता की धारा 149 के अधीन कोई भी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है ।

(ज) इत्तिलाकर्ता ने घटनास्थल को स्पष्ट नहीं बताया है और अन्वेषण अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का स्थलनक्शा नहीं बनाया है और उसने वास्तविक घटनास्थल को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से कोई भी अन्वेषण किए बिना इत्तिलाकर्ता के कथन के आधार पर अनौपचारिक रूप से कार्य किया है ।

(झ) चूंकि घटना प्रातःकाल में घटित हुई है, कम से कम कुछ ग्रामवासी अपने दैनिक कार्यों के लिए पड़ोस वाले खेत में अवश्य ही मौजूद होंगे जो घटना और उसके घटित होने की रीति के संबंध में अवश्य ही अभिसाक्ष्य दे सकते थे, यदि उनकी परीक्षा की जाती ।

(ञ) अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्तों को कारित की गई क्षतियों, विशेषकर अभियुक्त ब्रह्मदेव यादव को अग्न्यायुध से कारित की गई क्षति का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है बावजूद इसके कि इत्तिलाकर्ता पक्ष को भी ब्रह्मदेव यादव, दरोगी महतो, मुसाफिर यादव और सुनील यादव को क्षति पहुंचाने के लिए आरोपित किया गया है ।

(ट) अपराध में अभिकथित रूप से प्रयोग किए गए आयुधों को अभिगृहीत नहीं किया गया है और उन्हें बरामद करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है । इसलिए, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्तों को अपराध से संबद्ध किया जा सके ।

(ठ) रक्तरंजित कपड़े, घटनास्थल से प्राप्त की गई रक्तरंजित मिट्टी को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है ।

(ड) मृतक के शवपरीक्षण के दौरान डाक्टर द्वारा प्राप्त की गई बंदूक की गोली को अभिगृहीत नहीं किया गया है और न ही उसे न्यायालय के संप्रेक्षण के लिए परीक्षित किया गया है ।

(ढ) ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का वृत्तांत अत्यंत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है जो मृतक के नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं और जिन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध शत्रुता के आधार पर साक्ष्य दिया है, ऐसे साक्षियों का साक्ष्य एक दूसरे के प्रतिकूल है और चिकित्सीय साक्ष्य से उसकी पूर्ण रूप से संपुष्टि नहीं होती है और अभियुक्तों की संख्या, आयुधों और उनके द्वारा लाए गए गोला-बारूद के संबंध में विरोधाभास हैं और इन साक्षियों का साक्ष्य इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 9) के उस कथन से मेल नहीं खाता है जो उसने अपने अभिसाक्ष्य में दिया है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर सत्य वृत्तांत प्रस्तुत नहीं किया है और इसीलिए साक्षी और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और इसे प्रथमदृष्ट्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

(ण) अपील खारिज किए जाने का उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया अंतिम निष्कर्ष अनुचित है और इससे अन्याय होता है ।

33. इन परिस्थितियों में 2000 की दांडिक अपील सं. 293, 307, 311 और 371 में तारीख 26 सितंबर, 2003 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और सेशन विचारण सं. 333/97/40/97 में किए गए प्रथम अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के तारीख 26/27 जून, 2000 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । सभी अभियुक्तों को, यदि वे अन्य किसी मामले में वांछित नहीं हैं, तत्काल उन्मुक्त किए जाने का निदेश दिया जाता है । अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

अस.